9918
3/11/16

संयुक्त शासन सचिव
खान विभाग
शासन सचिवालय जयपुर

Government of Rajasthan

Mines (Gr.1.) Department

No.- F.12(13)Mines/Gr.1./1997 Jaipur, dated 26 OCT 2016

NOTIFICATION

The State Government hereby makes revision in the rates of prospecting charges given in the schedule-I below rules 9(a) of the "Rules for Departmental Prospecting in Mining Lease and License Hold Areas in Rajasthan, 1969" Substituting the existing "Schedule-I" by the following, namely:

Schedule-I

Rate of Prospecting Charges

1-	Pitting/Trenching (upto 3 m depth)	All types of rocks - Rs. 700/- cu.m.
2-	Drilling For all types of rock formation	 0.00m.-250m. Rs.8500/- per.m. more than 250m. Rs 10200/-per. m.
3-	Detailed Geological Mapping(1:2000) (a) Upto 50 hectares (b) More than 50 hectares	 Rs. 60,000/- Rs. 1200/- per hect or part there of
4-	Collection of Samples(Sampling) (a) Chip sample (b) Core sample (c) Channel sample (d) Bulk sample (e) Grab sample	 Rs. 100/- per sample Rs. 100/- per sample Rs. 100/- per sample Rs. 500/- per sample Rs. 500/- per sample
5-	Preliminary assessment of mineral resources in a lease hold/Prospecting License area (a) Upto 50 hect. area. (b) Over 50 hect.	 Rs. 30,000/- upto 50 hect. 10,000/-per hect. or part there of
6-	Report writing (a) Upto 2 copies (b) More than 2 copies	 Rs. 1000/- Rs. 3,000/- per copy
7-	Geological Mapping (1:10000 scale) (a) Upto 10 Sq. Km. (b) More than 10 Sq. Km.	 Rs. 1,00,000/- Rs. 10,000/- Sq. Km. or part there of

11475
28-10-16

SGMEC | SMFT
Upload
3-11-16

8-	Core logging	For all types of rocks- Rs. 100/- per m. length
9-	Super vision fees	10% of total prospecting charges.
10-	Service charges	As per the rate fixed by Government of India on total bill amount.

Note: 1- The same rate will be applicable for the Departmental exploration work carried out in LOI issued area.

2- The above rates shall come into force with immediate effect.

By Order

(Iqbal)

Joint Secretary to Govt.

Copy of following for information and necesssary action:-

1- S.A. to Hon'ble State Minister Mines.
2- P.S. to Secretary, Mines & Petroleum.
3- P.A. to Joint Secretary. Mines
4- Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
5- Director, Mines & Geology Department, Rajasthan, Udaipur with reference to his letter No. D.M.G./M.E.C./F.37/2002-03/416 dated 13.08.2015 with the request to circulate the copy of notification to the all subordinate offices under Directorate.
6- Director, Printing & Stationary, Govt. Press, Jaipur with the request to publish the notification in Extra Ordinary Gazette and copy of the same may please be sent to this department.
7- Guard File.

Joint Secretary to Govt.

2919
3/11/16

शासन ...
... विभाग
... कार्यालय

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः– प.12(13)खान/ग्रुप–1/1997 जयपुर, दिनांक 26 OCT 2016

अधिसूचना

राज्य सरकार राजस्थान में खनन पट्टों अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रों के तहत धृत क्षेत्रों में विभागीय पूर्वेक्षण नियम 1969 के नियम 9(ए) के अधीन वर्तमान प्रथम अनुसूचि में वर्णित पूर्वेक्षण शुल्क में संशोधन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित करती हैः–

अनुसूचि– प्रथम

पूर्वेक्षण शुल्क की दर

1. पिटिंग/ट्रेनिंग (तीन मीटर की गहराई तक)	–	सभी प्रकार के रॉक्स– रू. 700/– प्रति घन मीटर
2. छिद्रण		
सभी प्रकार की रॉक फॉरमेशन	–	0–250 मी. रू. 8500/– प्रति मी.
	–	250 मी. से ज्यादा रू. 10200/– प्रति मी.
3. विस्तृत भूगर्भीय मानचित्रीकरण(1:2000)		
(अ) न्यूनतम 50 हैक्टर तक		रू. [illegible]000/–
(ब) 50 हैक्टर से अधिक	–	रू. 1200/– प्रति हैक्टर या उसके भाग हेतु
4. नमूने एकत्रित करना (सैम्पलिंग)		
(अ) चिप सैम्पल	–	रू. 100/– प्रति सैम्पल
(ब) कोर सैम्पल	–	रू. 100/– प्रति सैम्पल
(स) चैनल सैम्पल	–	रू. 100/– प्रति सैम्पल
(द) बल्क सैम्पल	–	रू. 500/– प्रति सैम्पल
(य) ग्रेब सैम्पल	–	रू. 500/– प्रति सैम्पल
5. धारित पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र क्षेत्र मे खनिज भण्डारों का प्रारंभिक निर्धारण		
(अ) 50 हैक्टर क्षेत्र तक	–	50 हैक्टर क्षेत्र तक रू. 30,000/–
(ब) 50 हैक्टर क्षेत्र से अधिक	–	रू. 10000/– प्रति हैक्टर या उसके भाग हेतु
6. प्रतिवेदन लेखन (रिपोर्ट राईटिंग)		
(अ) दो प्रतियों तक	–	रू. 1000
(ब) दो प्रतियों से अधिक	–	रू. 3000/– प्रति कॉपी
7. भूगर्भीय मानचित्रकरण (1:10000 स्केल)		
(अ) 10 वर्ग किमी. तक	–	रू. 100000/– वर्ग किमी.
(ब) 10 वर्ग किमी. से अधिक	–	रू. 10000/– प्रति वर्ग किमी. या उसके भाग हेतु

11474
28-10-16

ADG
SG/ME/ Soft Urgent
DMGOMS की साइट पर upload करवानी है
3-11-16

8. कोर लोगिंग	–	सभी प्रकार के रॉक्स के लिए रू. 100/– प्रति मीटर लम्बाई
9. सुपरविजन शुल्क	–	कुल पूर्वेक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत
10. सेवा शुल्क	–	भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर अनुसार सम्पूर्ण बिल की राशि पर

टिप्पणी:– 1. एल.ओ.आई. जारी किये गये क्षेत्रों में विभागीय पूर्वेक्षण कार्य हेतु भी उपरोक्त दरें लागू होगी।

2. उपरोक्त दरें तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

आज्ञा से

(इकबाल)
संयुक्त शासन सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– विशिष्ट सचिव, माननीय राज्यमंत्री खनिज, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2– निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।

3– निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव, खान विभाग, [illegible]

4– महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।

5– निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र कमांक निदे /ख.मू.प्र./ प.37/ 2002–03 /416 दिनांक 13.08.2015 के कम में भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना की प्रति सभी अधिनरथ कार्यालयों को भिजवायी जावें।

6– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।

7– रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव